Annexure - LXIX

उत्तराखंड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या 171/सू0अ0/XXXI(13)G/2007
देहरादूनः दिनांक 28 सितम्बर, 2007

प्रमुख सचिव/सचिव,

1. विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखंड शासन।
2. ऊर्जा विभाग, उत्तराखंड शासन।
3. राजस्व विभाग, उत्तराखंड शासन।
4. ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन।

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना के अनुरोधों के प्रबन्धन के लिए एक कम्प्यूट्रीकृत सूचना प्रणाली विकसित की गयी है। सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय भारत सरकार ने अपने पत्र में इसकी सूचना देते हुए अपेक्षा की है कि राज्य सरकार भी राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की सहायता से इसी तरह की कम्प्यूट्रीकृत प्रणाली राज्य स्तर पर भी विकसित करे। इस उद्धेश्य से राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय देहरादून द्वारा सचिवालय स्थित सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के सहयोग से उत्तराखंड शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार हिन्दी में सूचना के अनुरोधो के प्रबन्धन की कम्प्यूट्रीकृत प्रणाली विकसित की गयी है। इसके प्रयोग से लोक सूचना अधिकारी अथवा विभागीय अपील प्राधिकारी उनको प्राप्त सूचना के अनुरोधो व अपीलों पर की गयी कार्यवाही का त्वरित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण कर सकेंगे।

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के अधिकारियों द्वारा इस प्रणाली को दिनांक 21.08.2007 को सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं अन्य अधिकारियों के समक्ष प्रदर्शित किया गया। इस प्रदर्शन के बाद यह निर्णय लिया गया कि प्रारम्भ में परिक्षण के तौर पर इस प्रणाली को निम्नलिखित विभागों/लोक प्राधिकारी इकाइयों में लागू किया जाय।

1. शिक्षा निदेशालय	2. विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. उत्तराखण्ड ऊर्जा निगम लि0	4. ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. जिलाधिकारी, देहरादून	6. राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून	8. ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

इस परिक्षण के अनुभवों के आधार पर आवश्यकतानुसार इस प्रणाली को अन्य विभागों/लोक प्राधिकारी इकाइयों में भी लागू किया जा सकता है।

इस प्रणाली को अंगीकार करने के लिए जिस सोफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी उसे राष्ट्रीय सूचना केन्द्र निशुल्क उपलब्ध करायेगा। इस उद्धेश्य के लिए उपरोक्त विभागों/लोक प्राधिकारी इकाई के विभागीय अपील प्राधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों एवं सहायक लोक सूचना अधिकारियों का एक दिन का प्रशिक्षण सचिवालय प्रशिक्षण केन्द्र में दिनांक 04 अक्तूबर, 2007 को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। तत्पश्चात सम्बन्धित विभाग/लोक प्राधिकारी इकाइयाँ, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के अधिकारी श्री अनिल के. बरनवाल के मार्गदर्शन में इस प्रणाली पर आगे कार्य प्रारम्भ करेंगे।

सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में उत्तराखण्ड शासन की यह एक नई पहल होगी। आशा की जाती है कि इससे सूचना के अधिकार के दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर उक्त 8 विभागों/लोक प्राधिकारी इकाइयों में यह प्रणाली प्रयुक्त होने लगेगी।

(एस. के. दास)
मुख्य सचिव

संख्या 171/सू०अ० /XXXI(13)G/2007 तद् दिनांकित।

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड ऊर्जा निगम लि0।
3. जिलाधिकारी देहरादून।
4. मुख्य विकास अधिकारी देहरादून।
5. निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री अनिल के. बरनवाल पी.एस.ए. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र।
7. सचिव उत्तराखण्ड सूचना आयोग सेक्टर–1,सी–10 डिफेन्स कालोनी, देहरादून।

आज्ञा से

(एम. एच. खान)
सचिव